आदेश क्रमांक /तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गई कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3

न्यायालय उपायुक्त, खूँटी।

संदिग्ध जमाबंदी वाद संख्या–102/2016–17
सरकार बनाम सोमा मुण्डा

आदेश

अपर समाहर्त्ता, खूँटी के पत्रांक–1095 /रा0 दिनांक–15.10.2016 द्वारा खूँटी जिला अन्तर्गत मौजा–भोण्डा, थाना–मुरहू, थाना नं0–245, खाता नं0 75/34, प्लॉट संख्या–1459 रकबा–3.88 एकड़ किस्म गैर मजरूआ खास, भूमि का जमाबन्दी रैयत सोमा मुण्डा वगैरह पिता मंगरू मुण्डा के नाम से कायम जमाबन्दी को रद्द करने हेतु अभिलेख प्राप्त है।

अंचल अधिकारी, मुरहू भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी एवं अपर समाहर्त्ता द्वारा प्रतिवेदित है कि उपरोक्त वर्णित भूमि का जमाबन्दी कायम होने का ठोस साक्ष्य प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया। इन लोगो के द्वारा प्रतिवेदित है कि पंजी ii में जमाबन्दी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है इनलोगों के द्वारा उक्त भूमि के जमाबन्दी को अवैध मानते हुए, रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा विपक्षी को सूचना निर्गत किया गया। विपक्षी द्वारा उपस्थिति के साथ आवेदन अंचल अधिकारी, मुरहू के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया साथ में वर्ष 1985–86 का निर्गत मालगुजारी रसीद की छायाप्रति समर्पित किया गया।

विपक्षी के पुत्र मोदी आईन्द पिता स्व0 सोमा मुण्डा ग्राम–भोण्डा, थाना–मुरहू, जिला–खूँटी द्वारा आवेदन में उल्लेखित है कि इनके पिता जी स्व0 सोमा मुण्डा पिता स्व0 मंगरू मुण्डा ग्राम–भोण्डा, थाना–मुरहू, जिला–खूँटी का स्थायी निवासी है। इनके पिता के नाम से खाता नं0–75/33 खेसरा नं0–1459, रकबा–3.88 सरकार द्वारा जीविकोपार्जन के लिए मिला है उस पर लगभग 50 वर्षो से खेती बारी करते आ रहे है इनका कहना है कि ये एक गरीब भूमिहीन किसान है। इनके पास खेती योग्य भूमि नही है। विपक्षी द्वारा अंचल अधिकारी, मुरहू के प्रस्ताव को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है। साथ में प्रमाण स्वरूप वर्ष 85–86, का मालगुजारी रसीद की छायाप्रति दाखिल किया गया है।

विपक्षी द्वारा दाखिल आवेदन तथा अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि विपक्षी द्वारा जमाबन्दी से संबंधित ठोस प्रमाण अब तक न्यायालय में उपलब्ध कराने में असफल रहे है। विपक्षी द्वारा वर्ष 85–86, का मालगुजारी रसीद की प्रति उपलब्ध करायी गयी है जिससे वैध जमाबन्दी साबित

नही होता है। ऐसी स्थिति में उनका दावा प्रश्नगत भूमि पर उचित प्रतीत नही होता है।

अतः मौजा–भोण्डा, थाना–मुरहू, थाना नं0–245, खाता नं0–75/34, प्लॉट नं0 1459 रकबा 3.88 एकड़ भूमि की बंदोबस्ती एवं संधारित जमाबंदी को अवैध मानते हुए बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत रद्द किया जाता है।

अभिलेख पर पारित आदेश की सरकार द्वारा संपूष्टी हेतु मूल अभिलेख आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल रॉची को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

14/02/23

उपायुक्त,
खूँटी।

14/02/23

उपायुक्त,
खूँटी।

Digitally signed by RANJAN SHASHI
Date: 2023.05.15 12:28:10 +05:30
Location: 10.93.169.42